VERDICTUM.IN

2026:AHC:110819

A.F.R.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL REVISION No. - 369 of 2026

Smt Meena Devi And Another

.....Revisionist(s)

Versus

State Of U.P Through Principal Secretary(Home) And Another

.....Opposite Party(s)

Counsel for Revisionist(s)	:	Kalyan Singh, Karma Singh Yadav
Counsel for Opposite Party(s)	:	Dheerendra Kumar, G.A., Vikash Krishna Murti

Court No. - 45

HON'BLE LAKSHMI KANT SHUKLA, J.

1. Heard Mr. Kalyan Singh, the learned counsel for revisionist, the learned AGA appearing on behalf of State-opposite party no. 1, Mr. Dheerendra Kumar, the learned counsel appearing on behalf of opposite party no. 2 and perused the record.

2. Revisionist Meena Devi and another has approached this Court by means of present Criminal Revision assailing the propriety of impugned order dated 06.01.2026 passed by learned Sessions Judge, Kanpur Nagar (hereinafter referred as trial court) in Session Case No. 1677/2025 (State of U.P. Vs. Himanshu Dixit and others) arising out of Case Crime No. 75 of 2025, under section 85, 82(2) BNS and Section 3/4 D.P. Act, Police Station Govind Nagar, District Kanpur Nagar wherein the trial court rejected the application for discharge under section 250 BNSS filed by revisionist.

3. Feeling aggrieved from that order the present revision has been filed on the ground that the impugned order is illegal, bad in law, perverse and has been passed without application of judicial mind, without considering the material available on record as a whole but the impugned order has been passed by picking and choosing evidence. On the basis of material available on record no offence under section 85, 80(2) BNS and section 3/4 D.P. Act is made out against the revisionist. The Audio recording of the conversation

VERDICTUM.IN

between the deceased and the informant demonstrates the involvement of accused persons namely Himanshu Tiwari, Rahul Tiwari and Sonam in the alleged offence. Learned counsel for revisionists submitted that a perusal of the entire case diary clearly reveals that the revisionists were not present at the date, time and place of occurrence. The revisionists, being the mother-in-law and father-in-law of the deceased were residing in their village, whereas the deceased was residing in rented accommodation in the Kanpur City. It is further submitted that the informant and his family members are not eye witnesses to the incident. Although allegations of demand of dowry have been levelled against the revisionists, the same stands falsified by the call recording between the informant and the deceased, as the conversation between them reveals that the cause of the incident was motivated by reasons entirely different from the alleged demand of dowry. In the present case the statement of informant along with statement of owner of the house where the deceased was residing along with her husband and co-accused Rahul & Sonam as well as the statement of the sister of the deceased are material and relevant for proper adjudication of the matter. The statement of the sister of the deceased is reproduced herein below:-

> "बयान गवाह पंचायतनामा श्रीमती गुंजन दीक्षित पत्नी श्री कृष्णकान्त दीक्षित उम्र करीब 38 वर्ष नि० ग्राम नारखास थाना रसूलाबाद जिला कानपुर देहात मो0न0 9621082051..... पूछने पर अपने बयान में बतायी कि मैं मृतका कल्पना की सगी बडी बहन हू। मेरी बहन कल्पना की शादी राहुल तिवारी पुत्र जयशंकर तिवारी नि० ग्राम जौहर ने हिमांशू से करायी थी राहुल और उसकी पत्नी सोनम दोनो ही हिमांशू के बारे में मेरे घर वालो को बताये थे और राहुल हिमांशू की मांग के अनुसार ही सारा सामान देकर हम लोगो ने अपनी बहन कल्पना की शादी 25/02/2024 को हिमांशू के साथ हिन्दू रीतिरिवाज के की थी शादी में हम लोगो ने अपनी सामथ्य के अनुसार सारा दान दहेज दिया था। मेरी बहन बिदा होकर अपने ससुराल ग्राम तरौदा शेरपुर गयी वहां पर लगभग पांच छः महीने रही लेकिन मेरी बहन के ससुराल वाले उसका पति हिमांशू, उसकी सास श्रीमती मीना उसका ससुर दिनेश कुमार और विचवानी राहुल और उसकी पत्नी सोनम आये दिन मेरी बहन को कम दहेज का तांना मारकर परेशान प्रताडित करने लगे यह सारी बाते मेरी बहन ने घर में बतायी साहब मेरे पिता जी नहीं है भाई अकेला है तब मेरे भाई और चाचा मेरी बहन के घर पर उनके ससुराल बालो को समझाने बुझाने गये कि हम लोगों ने शादी में सब कुछ दिया है कल्पना को परेशान मत करो तब कल्पना का पति उसके सास ससुर और राहुल और उसकी पत्नी सोनम कहने लगे कि हिमांशू को व्यौपार कराना है इसलिये तुम

VERDICTUM.IN

> लोगो को पाच लाख रूपया देना पड़ेगा यही सोचकर हम लोगो ने शादी की थी यदि पैसा नहीं मिला तो अपनी बहन को लिवा ले जाना फिर हिमांशू मेरी बहन कल्पना को लेकर कानपुर नौरैयाखेडा आ गया और किराये का कमरा ले लिया उसी कमरे में राहुल और उसकी पत्नी सोनम भी रहते थे ये सभी लोग आये दिन मेरी बहन से पैसे की मांग कर मारपीट करने लगे और पेरशान करने लगे जिस दिन यह घटना हुई उस दिन भी मेरी बहन को मारे पीटे थे जब मुझे पता चला तब मैं और मेरे घर परिवार के लोग कानपुर अस्पताल में आये थे तो मेरी बहन कल्पना की मौत हो चुकी थी साहब मेरी बहन को उसके पति हिमांशू, उसकी सास श्रीमती मीना, उसके ससुर दिनेश कुमार और हिमांशू के दोस्त राहुल और उसकी पत्नी सोनम ने दहेज में पांच लाख रूपये की मांग पूरी न होने पर जहर खिलाकर मार डाला है साहब इन दहेज लोभियो पर कड़ी कार्यवाही की जायें साहब राहुल और सोनम को जल्दी जेल जेल भेजा जाये। मेरे सामने पुलिस ने कल्पना का पंचायतनामा भरा था जिस पर मैंने अपने दस्तखत किये थे जल्दवाजी में गुजन की जगह गुंनज लिख दिया था साहब जो आप दिखा रहे है वह मेरे ही हस्ताक्षर है।"

4. According to post mortem report the death of deceased could not be ascertained, viscera was preserved, the doctor who conducted the autopsy on the dead body of the deceased found one ante mortem wound of laceration measuring 1cmx 1 cm into muscle deep over forehead. As per FSL report the presence of poisonous substance in viscera has been certified.

5. Previously according to the statement of Smt. Gunjan Dixit, the elder sister of deceased, she was only a witness to the marriage and, except for that whatever has been stated by her is hearsay in nature and has not evidentiary value.

6. Further according to the earlier statement of informant he had fully supported the prosecution case. He admitted that on the date of the incident he had some telephonic conversation with his sister. However in his affidavit he clarified that according to the recording of said conversation, there was no involvement of the parents of accused Himanshu i.e. mother-in-law and father-in-law of deceased in the alleged incident. The details of the said recording has also been reproduced herein below and the same form part of case diary:-

> "महिला की आवाज (बादी ने बताया कल्पना की है) .... हमने सल्फास की गोली खा लई है, राहुल और राहुल की दुल्हन के पीछे ये दोनो जने यही टिके है और

VERDICTUM.IN

रोज हमसे लड़त है हमार कोई नहीं है नयी है लल्ला ये दोनों जने हमार पीछे पर गये जब से बयाओ भयो है हओ लल्ला एक मिनट के लिये इनने खल नही लेन दई। लल्ला तुम रिकार्डिंग कर लो।

पुरूष की आवाज (वादी मुकद्दमा ने अपनी बताया)...........तुमने यो का करो यो पहले बताओ।

महिला (मृतका वादी के बताये अनुसार)……....लल्ला बस हमाई जिन्दगी के दिन पूरे हुये गये हमने खाई लई।

पुरूष (वादी मुकदमा ने अपने आप को बताया)..........तुमने हमें एकउ दिन बताये काये नहीं।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है)……....लल्ला हम नाय बता पाये लल्ला हमने खाय लई।

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अंपनी बताया)………. तुमने हमाये मम्मी का कुछ नहीं सोचो।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है)…….लल्ला बताये देते जिन्दा मर जाती हाओ लल्ला, लल्ला, लल्ला बहुत हरामी है ये सब इन दोनउ ने हमारी जिन्दगी बरबाद कर दी राहुलवा बहुत हरामी है।

पुरुष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)…...तुम हम अबही आ रहे ठीक है।
महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है).....तुमने रिकार्डिंग कर लई के नाई करी जा पहले बताओ।

पुरुष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया).... टोटल रिकार्डिंग है।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है).......इने राहुल ने राहुलवा हमाये पीछे पर गओ लल्ला जिन्दगी से इन्हे हमाई जिन्दगी बरबाद कर दई।

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)....तुम परेशान न हो।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है)……...लल्ला तुम तुम बस तुम अपाई जिन्दगी देखो इने हमाओ जीवो हराम कर दओ रोज लड़त है।

पुरुष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)......तुम्हें मिली काय पहले जो

बताओ।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है).....हम नई कुछ बताय पइहें बस हमने खाय लई अब तुम शान्ति रखो तुम बस यू राहुलवा और राहुलवा की दुल्हन ने हमें जीवो हराम कद दओ हमें एक पल नाय जियन दओ ये दोनो हमसे रोज लड़त हैं। यही टिके है जबसे हम आये कानपुर

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया).. ...का करो पहले यो बताओ।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है)……ऐं ये हमसे इत्ता लड़ी कहत मारत रोड पर ले चलवे।

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)……..तुमने या बात हमरो पहले काय नही बताई।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है)……तुम का करते का करते हम तुमाये द्वारे बैठकर अब नाय भोग पउतिन।

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)……हम जान से मार देते तुम हमें बतउती तो एक दायं।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है)......या हमाए पीछे पर गयी हमाए पीछे पर गयी हिन से हुन तक ये दोनों पीछे पर गये।

पुरुष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)…….तुमने एकउ दाय बात नही बताई ऐं।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है)……………इसी पीछे नाय बताई कि का करे का है तो मरे का तो हई मर जइवे तो ठीक रही जिन्दा रहते तो……

पुरुष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)……..सही बताओ खाई की नही खाई सही बताओ।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है)…….कसम से खा लई है।

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)………….कौन बाली खाई।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है)……...सल्फास की।

VERDICTUM.IN

पुरुष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया).......तुम झूठी न बोलो सही सही बताओ।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है)......झूठी नई बोल रहे लल्ला कछु नई झूठी बोल रहे है।

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया) ....तुम बोल कैसे रही सही बताओ झूठी बोल रही हो।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है)....नाय झूठी बोल रही।

पुरुष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)......मम्मी मर जइहे समझ लेओ।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है).......तो ठीक है मर जान दो उनहू को मरे का है जान जाती जोन जोन हमाये, संगे इनने सबरनने करो है तो जिन्दा मर जाती लल्ला।

पुरुष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)....... तुमने एकउ दाय हमें बतायी काय नइया ये बातें।

महिला की आवाज (वादी ने बताया कल्पना की है).........काहे दयू बहने और तो है तुनाई हमई अकेलन है का।

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)... ...जिन्दगी नरक कर दई और कुछ नही करो हमाई सबकी कई लोगों की आवाजे आ रही है।

पुरुष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी जीजा की बताई)........ हैलो हैलो ये का खाओ है।

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)......जीजा यो बताओ का खाओ है क्या कुछ सही बताओ।

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपने जीजा की बताई) ...हमें नही मालूम।

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपनी बताया)........ये कह रही है जहर खा लओ है अब बताओ का करो जाऐ ये राहुल का चाहत है जो बताओ।

पुरूष की आवाज (वादी मुकदमा ने अपने जीजा की बताई).......... ड्रामा करें है यो महिला की आवाज आ रही है कह रही है कि लल्ला फालतू ड्रामा नई है कौनऊ कमी

VERDICTUM.IN

हत्ती तुमने कुछ न बताई तुमने हमाओ।"

7. Such details of recording falsify the entire allegation regarding demand of dowry, and the motive behind the death appears to be different from motive assigned in FIR as well as earlier statement of informant. In his additional statement, the informant could not reproduce the version as stated in his affidavit, which itself goes against the prosecution story. Apart from this, the statement of owner of the house in which the deceased was residing along with her husband and two other co-accused is also material. According to the statement of Shashi Kant Tiwari, the owner of the house, occurring at page 63 of paper book, there was continuous quarrel between deceased and her husband and two other co-accused namely Rahul and his wife Sonam. The present revisionists were not residing in that house, they used to visit on a few occasions. As per the said statement, the reason for the quarrels between the parties was not on account of demand of dowry but it was on instance of living of two co-accused Rahul and Sonam in the same rented house.

8. In view of above conspectus, it is crystal clear that the death of deceased was unnatural and had occurred within seven years of marriage and she was subject to harassment soon before her death. However the essential ingredient relating to demand of dowry is lacking. Therefore, the presumption under section 113-B of Indian Evidence Act, 1872 is not attracted, and no person can charged merely on the basis of imagination.

9. The Court, while exercising it's power contained in section 227 Cr.P.C. (Corresponding section 250 of BNSS) must consider entire material & statements recorded in case diary in true and right perspective and reach at the conclusion about accomplicity of accused person. The statement of witnesses based on hearsay must be discarded. The statement of witnesses having corroboration from other material must be given higher weightage than mere statement having no corroborative material. And the Court should proceed further on the basis of statement with corroborative materials disregarding statements having no supportive material.

10. In view of above, in my opinion that the trial court failed to appreciate the evidence available on record in its proper perspective. Consequently, the impugned order has been passed with material irregularities and illegalities

VERDICTUM.IN

and is, therefore liable to be set aside.

11. Accordingly the present criminal revision is **allowed**. The impugned order dated order dated 06.01.2026 passed by learned Sessions Judge, Kanpur Nagar is hereby set aside. The trial court is directed to pass a fresh order in the light of the observations made by this Court and in accordance with law. The parties are directed to appear before the trial court.

(Lakshmi Kant Shukla,J.)

May 13, 2026
Arti